

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक - जविप्रा/संसा.एल.पी.सी./116/57-339

दिनांक-13-6-16

संशोधन आदेश

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति (एलपीसी) की 124वीं बैठक दिनांक 26.05.16 के एजेण्डा संख्या 124:6 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को "योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर" के स्थान पर "योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर" पढा जावे।

यह आदेश आयुक्त, जविप्रा से पुष्ट है।



सदस्य सचिव

एवं

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)